

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

सुभन देवी वंश वनाम लक्ष्मण राम डूंडे लक्ष्मण राम
 मुकदमा नं० 57 सन् 2018

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>07/08/18 वकील प्राचीगण श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने हाजिर अदालत होकर प्रा.प्र.टी.अ.के. पेश किया। प्रा.प्र.टी.अ.के. रजिस्टर किया जावे। स्थान पर बहस वकील प्राचीगण एडवोकेट सुनी शर्मा, पत्रावली पर उपलब्ध राज.प्र. रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्राचीगण पर भनन किया गया जिनसे प्रथम दृष्टया मामला प्राचीगण के पक्ष में पाया जाने पर अप्राचीगण को अन्तरिम टी.अ.के. से पाबंद किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्राचीगण को आशुप्री लखी पेशी तह जरिद आन्ध्र निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आप विवादग्रस्त भाराजी ख. नं० 227, 229 रकबा 3.17 हे० तन ग्राम फतेहपुर भोसियास पर हा. गोकुलडाबास में प्राचीगण के एक हिस्से की सीमा तह भूमि का हस्तान्तरण/ बेचान नही करें एवं छप्पे शरत में सजावमत नही करें। प्राचीगण 0.39, 1.03 ए० सी. पालन करें। अप्राचीगण को अन्त आदेश उल्लेखित करते हुए रजिस्टर की जा. सम्पन जारी होकर पत्रावली दिनांक 10-09-2018 को पेश हो।</p> <p>10/08 पत्रावली पर हा. गोकुलडाबास परिके हा. गोकुलडाबास परिके अधिकारी कार /अन्त आदेश में अन्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15-10-18 को पेश हो।</p> <p>15/10 पत्रावली पर हा. गोकुलडाबास परिके हा. गोकुलडाबास परिके अधिकारी कार /अन्त आदेश में अन्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12-11-18 को पेश हो।</p>	<p>9735-40 13-818</p>

